<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर</u>

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-8575/2007
दिलीप बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:**13.12.2007**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>

श्री आर आर गोयल , अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री एस एन गुप्ता, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा धारा 439 जाप्ता फौजदारी में यह जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-185/2007 पुलिस थाना- उनियारा, टोंक अपराध अन्तर्गत धारा- 327 भारतीय दण्ड संहिता के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त-प्रार्थी के विरूद्ध परिवादी से रूपया प्राप्त करने का आरोप नहीं है अपितु शराब के लिए पैसे मांगने व मारपीट करने का मामला है। अभियुक्त को मौके से भी पकड़ना नहीं बताया गया है और न ही कोई कार्यवाही शिनाख्तगी ही होना बतायी गयी है। अभियुक्त-प्रार्थी को आपराधिक चरित्र का व्यक्ति होना भी नहीं बताया गया है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि अभियुक्त-प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है एवं अभी इस मामले में अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना है, मेरी राय में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी- दिलीप पुत्र किशन निवासी- टोंक द्वारा रूपये 20,**000/- (बीस हजार रूपये मात्र)** का स्वयं का बंध पत्र व रूपये 10,**000/- - 10,000/- (दस-दस हजार रूपये मात्र)** की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे तो उसे प्रथम सूचना संख्या--185/2007 पुलिस थाना- उनियारा, टोंक से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(न्या0 जितेन्द्रराय गोयल)